Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील संख्या 288 सन् 2006

1. अब्दुल कादिर, पिता अब्दुल सत्तार, आयु 60 वर्ष
2. जकिया बेगम, पिता अब्दुल सत्तार, आयु 45 वर्ष
3. सफिया बेगम, पिता अब्दुल सत्तार, आयु 42 वर्ष

सभी निवासीः गिरी चौक, लक्ष्मण होटल के निकट,
हाण्डीपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़

........अपीलार्थी / प्रतिवादी

बनाम

श्रीमती असगरी बेगम, पति अब्बास अली, आयु 40 वर्ष,
निवासी संजय नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

...........प्रतिवादी / वादी

अपीलार्थियों के लिए – सुश्री अनुजा शर्मा, अधिवक्ता
प्रतिवादी के लिए – श्री मनोज परांजपे एवं श्री अनुराग सिंह, अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

निर्णय पटल पर

26.09.2019

1. अपीलार्थियों / प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत इस द्वितीय अपील में शामिल, निर्धारित एवं उत्तर देने योग्य विधि के दो मौलिक प्रश्न निम्नानुसार हैं :–

''1. क्या अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादी को संपत्ति में 1 / 5 भाग तक संयुक्त

स्वामी घोषित करने में विधिक त्रुटि की गई है?

''2. क्या वादी, जो एक सुन्नी मुस्लिम परिवार की पुत्री (एक भाई के साथ) है, अपनी माता मकबूल बी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में 1/5 भाग तक उत्तराधिकार में प्राप्त करने में सफल नहीं होगी?''

''सुविधा की दृष्टि से, पक्षकारों को यहाँ आगे उनकी हैसियत तथा विचाराधीन वाद में ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रदर्शित पदानुक्रम के अनुसार ही संबोधित किया जाएगा।''

2. ''वादी एवं प्रतिवादीगण भाई–बहन हैं तथा यह विवाद उनकी माता बिलासपुर निवासिनी मकबूल बी (अब्दुल सत्तार की पत्नी), जिनका निधन 12/07/1989 को हुआ था, द्वारा स्वामित्व एवं धारित पैतृक आवास से संबंधित है।''

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. वादी, जो मकबूल बी की पुत्री है, ने हक की घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक दीवानी वाद दायर किया, जिसमें यह तर्क प्रमुखता से रखा गया कि वह वादग्रस्त आवास में 1/4 भाग की अधिकारिणी है, क्योंकि उक्त आवास उसकी माता मकबूल बी के स्वामित्व एवं अधिकार में था। प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान द्वारा इसका विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादी ने अपनी माता मकबूल बी की मृत्यु से पूर्व ही वादग्रस्त आवास छोड़ दिया था तथा बिना विवाह में प्रवेश किए ही परिवार के साथ सभी संबंध विच्छेद कर लिए थे। अतः वह अपने दावे के अनुसार हक की घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है।

4. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करते हुए, अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19/12/2005 के माध्यम से वादी के वाद को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि वादी हक की घोषणा के लिए अधिकारिणी है, किंतु स्थायी निषेधाज्ञा के लिए नहीं, तथा यह निर्धारित किया कि उसका वादग्रस्त आवास में केवल 1/5 भाग ही है।

5. प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28/04/2006 के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा, जिसके विरुद्ध प्रतिवादियों द्वारा सीपीसी की धारा 100 के अंतर्गत यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। इसमें विधि के दो मौलिक प्रश्न दिनांक 27/07/2006 को निर्धारित किए गए थे, जो इस निर्णय के प्रारंभिक अनुच्छेद में वर्णित हैं।

6. अपीलार्थियों/प्रतिवादियों की विद्वत अधिवक्ता श्रीमती अंजू शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया है कि सुन्नी विधि के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1(मकबूल बी का पुत्र) तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 (मकबूल बी की पुत्रियाँ) 'अवशेष उत्तराधिकारी' residuaries) है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 (पुत्र) को वादग्रस्त आवास में दोगुना हिस्सा अर्थात् 2/3 भाग प्राप्त होगा, जबकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 (पुत्रियाँ) सामूहिक रूप से 1/3 भाग प्राप्त करेंगी। इस प्रकार, वादी का हिस्सा वादग्रस्त आवास में केवल 1/9 होना चाहिए। अतः, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में विधिक त्रुटि की है कि वादी का हिस्सा 1/5 है। इस आधार पर, द्वितीय अपील को इस सीमा तक स्वीकार किया जाना चाहिए कि वादी का हिस्सा वादग्रस्त आवास में 1/9 निर्धारित किया जाए।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी/वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे एवं श्री अनुराग सिंह ने विवादित निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि द्वितीय अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, उनके पारस्परिक विरोधी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

9. यहाँ पक्षकार सुन्नी मुस्लिम हैं तथा 'हनफी उत्तराधिकार विधि' द्वारा शासित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हनफी उत्तराधिकार विधि के अंतर्गत, उत्तराधिकारियों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसा कि **<u>"प्रिसिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ"</u>** (लेखकः सर दिनशॉ फरदुनजी मुल्ला, 20वाँ संस्करण) के अध्याय 7 पृष्ठ 64 से उद्धृत किया गया है।

<u>I - उत्तराधिकारियों के तीन वर्ग</u>

61. <u>उत्तराधिकारियों के वर्ग</u> – उत्तराधिकारियों के तीन वर्ग होते हैं, अर्थात, 1. हिस्सेदार (शेयर्स), 2. अवशेष उत्तराधिकारी (रेजिड्यूअरीज), 3. दूर के रिश्तेदार (डिस्टेंट काइंड्रेड)।

(1) ''हिस्सेदार'' वे हैं जो संपत्ति के एक निर्धारित हिस्से के अधिकारी होते हैं।

(2) ''अवशेष उत्तराधिकारी'' वे हैं जो कोई निर्धारित हिस्सा प्राप्त नहीं करते, बल्कि 'हिस्सेदारों' के दावों के पूरा होने के बाद शेष संपत्ति (अवशेष) में उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं।

(3) ''दूर के रिश्तेदार'' वे रक्त संबंधी हैं जो न तो ''हिस्सेदार'' हैं और न ही 'अवशेष उत्तराधिकारी''।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विद्वान लेखक ने आगे स्पष्ट किया है कि यदि कोई "हिस्सेदार'' नहीं हैं, तो संपूर्ण संपत्ति पर ''अवशेष उत्तराधिकारी'' का अधिकार होगा। यदि न ''हिस्सेदार'' हों और न ''अवशेष उत्तराधिकारी'', तो संपत्ति का विभाजन ''दूर के रिश्तेदारों'' में किया जाएगा, जो उत्तराधिकार के अधिकारी हैं।

11. ''हिस्सेदारों' ' की परिभाषा विद्वान लेखक द्वारा अध्याय 7 पृष्ठ 65 में इस प्रकार दी गई है.

<u>II. हिस्सेदार (शेयर्स)</u>

63. हिस्सेदारों का क्रमः– अंतिम संस्कार व्यय, ऋण, तथा वसीयतों का भुगतान करने के पश्चात, किसी मुस्लिम की संपत्ति के वितरण का प्रथम चरण यह निर्धारित करना है कि मृतक के जीवित संबंधी ''हिस्सेदार'' वर्ग में आते हैं या नहीं, तथा उनमें से कौन उत्तराधिकार के हिस्से के

अधिकारी हैं। इसके पश्चात, परिस्थितियों के अनुसार, उन हिस्सेदारों को उनके निर्धारित हिस्से आवंटित किए जाते हैं।

12. सुन्नी विधि के अंतर्गत "हिस्सेदारों" की सूची विद्वान लेखक द्वारा अध्याय 7 पृष्ठ 66–अ में प्रस्तुत की गई है, जो निम्नानुसार हैः–

TABLE OF SHARES -- Sunni Law

(1) Sharers	(2) Normal Share		(3) Conditions under which the normal share is inherited	(4) This column sets our -- (A) Shares of Sharers Nos. 3, 4, 5, 8 and 12 as varied by special circumstances; (B) Conditions under which Sharers Nos 1, 2, 7, 8, 11 and 12 succeed as Residuaries.
	of one	of two or more collectively (b)		
1. xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2. xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3. xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4. xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5. xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
6. xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
7. DAUGHTER	1/2	2/3	When no son.	[With the son she becoms residuary: see Tab. of Res., No. 1.]

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. वर्तमान मामले में, चूँकि प्रतिवादी संख्या 1 मकबूल बी का पुत्र है, वह वर्ग (1) अर्थात् 'हिस्सेदार' (शेयर्स) के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी प्रकार, वादी (मकबूल बी की पुत्री) भी 'हिस्सेदार' नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मृतक मकबूल बी का एक पुत्र (प्रतिवादी संख्या 1) विद्यमान है। अतः यदि पुत्र की अनुपस्थिति होती तो वादी (पुत्री) को

'अवशेष उत्तराधिकारी' (रेजिड्यूअरी) का दर्जा प्राप्त होता।

14. उत्तराधिकारियों का अगला वर्ग 'अवशेष उत्तराधिकारी' (रेजिड्यूअरीज) है, जिसकी परिभाषा विद्वान लेखक द्वारा अध्याय 7 पृष्ठ 72 में इस प्रकार दी गई है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

III. अवशेष उत्तराधिकारी (रेजिड्यूअरीज)

65. अवशेष उत्तराधिकारीः— यदि कोई ''हिस्सेदार'' (शेयर्स) नहीं हैं, अथवा ''हिस्सेदार'' विद्यमान होने पर भी उनके दावों के पूरा होने के बाद संपत्ति का कुछ अवशेष शेष रह जाता है, तो संपूर्ण उत्तराधिकार अथवा अवशेष (जैसी भी स्थिति हो) संलग्न तालिका (पृष्ठ 74 क) में निर्धारित क्रम के अनुसार ''अवशेष उत्तराधिकारियों'' को प्राप्त होगा।

15. 'अवशेष उत्तराधिकारियों' के अधिकार पवित्र कुरान (अनुप्रयोग से) तथा पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की परंपराओं द्वारा स्पष्ट शब्दों में मान्यता प्राप्त हैं, जैसा कि विद्वान लेखक द्वारा पृष्ठ 73 से निम्नानुसार उद्धृत किया गया हैः—

'पवित्र कुरान में घोषणा की गई हैः—

माता—पिता एवं निकट संबंधियों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का हिस्सा निर्धारित है, चाहे संपत्ति कम हो या अधिक... प्रत्येक के लिए हमने माता—पिता और निकट रिश्तेदारों की छोड़ी हुई संपत्ति में हिस्से और उत्तराधिकार तय किए हैं।

'अल्लाह तुम्हें तुम्हारी संतान (उनके उत्तराधिकार) के विषय में आदेश देता हैः एक पुरुष का हिस्सा दो स्त्रियों के बराबर होगा।

''लोग तुमसे निर्णय माँगते हैं। कहोः अल्लाह उनके विषय में यह आदेश देता है जो कोई संतान या माता—पिता (वारिस) नहीं छोड़ते। यदि कोई पुरुष बिना संतान के मर जाए और उसकी एक बहन हो, तो उसे आधी संपत्ति मिलेगी। यदि (मृतक) एक स्त्री हो जो बिना संतान के मरी हो, तो उसका भाई उसकी संपत्ति लेगा...यदि भाई—बहन हो, तो पुरुष को स्त्री से दोगुना हिस्सा मिलेगा।''

16. ''हिस्सेदारो '' के दावों के पूरा होने के बाद शेष अवशेष को विद्वान लेखक द्वारा निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से समझाया गया हैः

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>**उदाहरण (इलस्ट्रेशन्स)**</u>

(टिप्पणीः निम्नलिखित उदाहरणों में ''हिस्सेदारों'' के दावे पूरा होने के बाद शेष अवशेष का विवरण):

(क) पुत्र एवं पुत्रियाँ

(1) पुत्र – 2/3 भाग (अवशेष उत्तराधिकारियों के रूप में)

पुत्री – 1/3 भाग

(टिप्पणीः जब पुत्र विद्यमान हो, तो पुत्री ''हिस्सेदार'' के रूप में उत्तराधिकार नहीं प्राप्त कर सकती। यदि वारिस एक पुत्री और पुत्र का पुत्र हो, तो पुत्री ''हिस्सेदार'' के रूप में 1/2 भाग लेगी, तथा पुत्र का पुत्र शेष 1/2 भाग ''अवशेष उत्तराधिकारी'' के रूप में प्राप्त करेगा।)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. सुन्नी विधि के अंतर्गत 'अवशेष उत्तराधिकारियो' की वंशानुक्रम तालिका, विद्वान लेखक द्वारा पृष्ठ 74A में प्रस्तुत की गई हैः

<u>**अवशेष उत्तराधिकारियों की तालिका (सुन्नी विधि):**</u>

I. वंशज (डिसेन्डेन्टस)

1. पुत्र

पुत्री, पुत्र की उपस्थिति में ''अवशेष उत्तराधिकारी'' के रूप में हिस्सा प्राप्त करती है, जिसमें पुत्र को दोगुना हिस्सा मिलता है।

18. उपरोक्त ''मोहम्मडन लॉ के सिद्धांत'' (सर मुल्ला, 20वाँ संस्करण) के अनुसार हस्सेदारी के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर पुनर्विचार करते हुएः यह स्पष्ट है कि मकबूल बी की तीन पुत्रियाँ (वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3) तथा एक पुत्र (प्रतिवादी संख्या 1) है । पुत्र (प्रतिवादी संख्या 1) की उपस्थिति मे, वादी (पुत्री) ''अवशेष उत्तराधिकारी'' बनती है। सभी चारों (पुत्र एवं तीन पुत्रियाँ) ''अवशेष उत्तराधिकारियो '' की श्रेणी में आते हैं। हनफी उत्तराधिकार विधि के अनुसार,प्रतिवादी संख्या 1 (पुत्र) को वादग्रस्त आवास में 2/3 भाग प्राप्त होगा, जबकि वादी एवं

प्रतिवादी संख्या 2 व 3(पुत्रियाँ) सामूहिक रूप से 1/3 भाग प्राप्त करेगी। अतः, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा होगाः 1/3 1/3 = 1/9 भाग। इस प्रकार, पक्षकारों पर लागू हनफी विधि के अनुसार, वादी का वादग्रस्त आवास में हिस्सा 1/9 है, न कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा घोषित 1/5। अतः, प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि वादी को वादग्रस्त आवास (गृह क्रमांक 23/199, वार्ड क्रमांक 23, हंडीपारा, तहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़) में 1/9 हिस्सा प्राप्त होगा।

19. द्वितीय अपील को उपरोक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है। कोई लागत का आदेश नहीं।

20. तदानुसार डिक्री तैयार की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**